राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3120/2016

श्रीमती अन्तिम बाला पारीक **–अपीलार्थी**

बनाम

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, लालगढ़ पैलेस, बीकानेर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), टोंक।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.10.2016
आदेश की दिनांक : 01.07.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : डॉ. विक्रम सिंह नैन, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी की सेवायें दिनांक 20.12.2013 से स्थायी की जावे अथवा जिस तिथी से उसने परिवीक्षा काल पूर्ण किया है उसकी नियुक्ति दिनांक 21.12.2011 से गणना करते हुये स्थायी की जावे और अपीलार्थी का वेतनमान निर्धारित करते हुये समस्त पारिणामिक लाभ सहित शेष राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भुगतान किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक ग्रेड द्वितीय (संस्कृत) के पद पर वर्ष 2011 में आरपीएससी द्वारा हुई थी और दिनांक 07.10.2011 के द्वारा अपीलार्थी को राजकीय माध्यमिक विद्यालय, नगर फोर्ट, जिला टोंक में पदस्थापित किया गया यहां अपीलार्थी ने दिनांक 21.12.2011 को कार्यभार ग्रहण किया। नियुक्ति पश्चात् अपीलार्थी ने गर्भावस्था होने के कारण दिनांक 06.08.2012 से 01.02.2013 तक मातृत्व अवकाश

जो 180 दिवस का उपभोग किया और तत्पश्चात् अपीलार्थी ने कार्यभार ग्रहण किया। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 15.10.2014 के द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, निवाना जिला जयपुर स्थानान्तरित कर दिया गया। अपीलार्थी ने कार्यग्रहण तिथी 21.12.2011 से 2 वर्ष का परिवीक्षा काल दिनांक 20.12.2013 को पूर्ण किया, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने स्थायीकरण आदेश जारी करवाने हेतु प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 30.01.2014 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। जिसके क्रम में प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी के मातृत्व अवकाश आदि का विस्तृत उल्लेख करते हुये रिपोर्ट प्रस्तुत की। परंतु रिपोर्ट पर कोई विचार नहीं किया गया, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने अनेको अभ्यावेदन सेवा को स्थायीकरण करने हेतु प्रस्तुत किये। परंतु विभाग द्वारा कोई विचार न करते हुये अपीलार्थी को एक निर्धारित वेतन रूपये 13,320/– भुगतान किये जा रहे हैं। उनका कथन है कि अपीलार्थी ने 90 दिवस से अधिक परिवीक्षा काल के दौरान अवैतनिक अवकाश का उपभोग किया है तो उतनी अवधि परिवीक्षा काल बढाया जा सकता है, परंतु निरंतर परिवीक्षा काल सेवा के दौरान नहीं रह सकता और अपीलार्थी को सेवायें देते हुये 5 वर्ष हो चुके हैं जो अभी तक स्थायी नहीं किया गया और न ही नियमित वेतनमान दिये गये। अपीलार्थी के विरूद्ध मई, 2016 में आरोप पत्र जारी किया गया और विभागीय जांच राजकीय तिथी निर्धारित की गई। परंतु आज दिनांक तक कोई तारीख नहीं बढाई गई, परंतु विभागीय जांच का स्थायीकरण से कोई संबंध नहीं है। फिर भी अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा स्थायी नहीं किया जा रहा है, जो नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी की सेवायें दिनांक 20.12.2013 से स्थायी की जावे अथवा जिस तिथी से उसने परिवीक्षा काल पूर्ण किया है उसकी नियुक्ति दिनांक 21.12.2011 से गणना करते हुये स्थायी की जावे और अपीलार्थी का वेतनमान निर्धारित करते हुये समस्त पारिणामिक लाभ सहित शेष राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भुगतान किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी दिनांक 21.12.2011 के पश्चात् परीवीक्षा अवधि में काफी लम्बे समय तक अलग–अलग तिथियों में स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थित रहने से सेवा नियमों के अनुसार कुल 103 दिवस की सेवा शून्यकाल मानी जाकर परिवीक्षा अवधि बढायी गई थी। अपीलार्थी के अवकाश प्रकरण का

निस्तारण आदेश दिनांक 31.12.2018 के द्वारा अपीलार्थी को सेवा में स्थायी किया जा चुका है और नियमित वेतन श्रृंखला ग्रेड पे 4200 प्रदान कर दी गई है। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 31.12.2018 के द्वारा उसका स्थायीकरण दिनांक 02.04.2014 से नियमित करते हुये उसे वेतन श्रृंखला प्रदान की गई। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर होने पर दिनांक 21.12.2011 को अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर कार्यग्रहण किया, जो अनुलग्नक–2 से प्रकट होता है और 2 वर्ष का परिवीक्षा काल दिनांक 20.12.2013 को पूर्ण किया। जिसके संबंध में अपीलार्थी ने स्थायी किये जाने के आदेश जारी करवाने हेतु प्रत्यर्थी विभाग को कई अभ्यावेदन प्रस्तुत किये और अपीलार्थी को आदेश दिनांक 31.12.2018 के द्वारा दिनांक 02.04.2014 से स्थायीकरण किया गया। जहां तक अपीलार्थी को दिनांक 20.12.2013 से स्थायी नहीं किये जाने का प्रश्न है, प्रत्यर्थी विभाग का तर्क है कि अपीलार्थी द्वारा प्रथम नियुक्ति के समय कार्यग्रहण पश्चात् परिवीक्षा काल के दौरान काफी लम्बे समय तक अलग–अलग तिथियों में स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थित रहने पर सेवा नियमों के अनुसार कुल 103 दिवस अनुपस्थित अवधि को सेवा शून्यकाल मानी जाकर परिवीक्षा अवधि बढायी गई थी। अपीलार्थी की नियुक्ति वर्ष 2011 में हुई है और राज्य सरकार के वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 25.10.2019 में परिवीक्षा काल के दौरान 2014 से पूर्व नियुक्त परिवीक्षा काल में लिये गये असाधारण अवकाश के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है :–

> *"Attention is invited FD Memorandum of even number dated 22.05.2009, 11.06.2014, 07.08.2014 and 08.08.2019 under which provisions are contained for grant of extraordinary leave to probationer trainee. Certain clarification/doubts has been raised for implementation of the above Memorandums.*
>
> *Accordingly, the matter has been considered with reference to the provisions of Rule 4A of Rajasthan Service Rules under which it has been mentioned that an Officer's claim to leave shall be regulated by the rules in force at the time leave is applied for and granted. Hence, it is clarified that :-*

1. *In all pending cases of employees who availed extraordinary leave exceeding three months prior to 11.06.2014 the period of probation is to be extended by the period of extraordinary leave availed beyond three months.*

2. *The employees who were continuing to avail extraordinary leave exceeding three months even before 11.06.2014 and onwards, in such cases also the period of probation is to be extended by the period of extraordinary leave availed beyond three months."*

इस प्रकार उपरोक्तानुसार अपीलार्थी 90 दिवस तक का अवैतनिक अवकाश उपभोग करने पर उसका परिवीक्षा काल 90 दिवस आगे नहीं बढाया जा सकता एवं 90 दिवस से अतिरिक्त जितने भी दिवसों का असाधारण अवकाश उपभोग किया गया है उतने दिवस परिवीक्षा काल बढाये जाने का प्रावधान है। अपीलार्थी ने कुल 103 दिवस का असाधारण अवकाश परिवीक्षा काल के दौरान उपभोग किया है। इसलिये उक्त परिपत्र के आधार पर 103 दिवस में से 90 दिवस कम कर शेष लगभग 13 दिवस के लिये परिवीक्षा काल बढाया जाना चाहिए था जबकि प्रत्यर्थी विभाग ने 103 दिवस आगे बढ़ा दिया।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील इस हद तक स्वीकार की जाती है एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 25.10.2019 को ध्यान में रखते हुये अपीलार्थी द्वारा परिवीक्षा काल के दौरान उपभोग किये गये कुल 103 दिवस के असाधारण अवकाश में से नियमानुसार 90 दिवस कम करते हुये शेष 13 दिवस का परिवीक्षा काल बढाते हुये प्रथम नियुक्ति दिनांक से परिवीक्षा काल की गणना करते हुये 2 वर्ष एवं 13 दिवस पूर्ण होने पर उसकी सेवाओं को कंफर्म (confirm) कर समस्त वेतन लाभ आदि नियमानुसार प्रदान किये जावें।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य